न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार, आर ए एस

अपील संख्या :— 03/2023

उनवान

1. सुशीला देवी पुत्री मुरलीधर सैनी जाति माली निवासी ठाकरावाली कोठी बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत बिदारा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. सचिव ग्राम पंचायत बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
3. शायरी देवी उर्फ शारदा पत्नी मुरलीधर सैनी
4. राकेश कुमार उर्फ बाबा पुत्र मुरलीधर सैनी
5. बबलू पुत्र मुरलीधर सैनी
समस्त जाति माली निवासी ठाकरावाली कोठी बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
6. पटवारी हल्का बिदारा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान

अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण सं. 538 दिनांक 12.09.2000 को अपास्त व निरस्त किये जाने बाबत

निर्णय दिनांकः 27/03/24

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख0 न0 718/0.0200, 719/0.7100, 720/1668/0.1000 कुल किता 3 रकबा 0.83 है0 भूमि वाकै ग्राम बिदारा, ढाणी ठाकरावाली कोठी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी अपीलार्थीया के दादा ग्यारसा पुत्र भूरा जाति माली हिस्सा 1/2 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0—2056—59 के खाता सं0 —61 में दर्ज रही है। खातेदार ग्यारसा पुत्र भूरा व ग्यारसा का एक पुत्र मुरलीधर फौत हो जाने पर वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार नामान्तरण दर्ज करके तस्दीक कर दिया गया । जबकि खातेदार ग्यारसा पुत्र भूरा का वारिस प्रमाण पत्र सही दर्ज रहा कि खातेदार ग्यारसा के एक पुत्र मुरली का वारिस प्रमाण पत्र गलत जारी किया गया है मुरली पुत्र ग्यारसा के वारिस निम्न प्रकार दर्ज किये गये है।

मुरली पुत्र ग्यारसा फौत

शारदा (वेवा)	बाबा पुत्र	बल्लु पुत्र

जबकी अपीलार्थी भी मुरली पुत्र ग्यारसा की जायन्दा पुत्री है एवं ग्राम पचायत बिदारा द्वारा मुरलीधर पुत्र ग्यारसा के शेष वारिसान का नाम भी वास्तविक नाम से जारी नही करके बोल चाल के नामो से बिना जॉच किये ही जारी कर दिया जबकि मुरलीधर सैनी पुत्र ग्यारसा के निम्न प्रकार है।

मुरली पुत्र ग्यारसा फौत

शायरी पत्नी प्रत्यार्थी सं0 3	राकेश कुमार पुत्र प्रत्यार्थी सं0 4	बब्लू पुत्र प्रत्यार्थी सं0 5	सुशीला देवी पुत्री अपीलार्थी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी ... राजस्थान

मुरली पुत्र ग्यारसा के वारिसान पत्नी शायरी के वारिसान पत्नी शायरी देवी अनपढ रही है व पुत्र राकेश व बब्लू व पुत्री सुशीला देवी नाबालिग रहे है जो अपीलार्थी विरासत नामान्तरकरण के साथ नाबालिग होने से विरासत की नामान्तकरण प्रकिया में अनभिज्ञ रही है अपीलार्थी की नाबालिग स्थिति में होने आराजी ख0 न0 718 / 0.0200, 719 / 0.7100, 720 / 1668 / 0.1000 कुल किता 3 रकबा 0.83 है0 भूमि वाकै ग्राम बिदारा का विरासत नामान्तकरण सं0 538 दिनांक 12.09.2000 को प्रत्यार्थी सं0 06 में भरवाकर प्रत्यार्थीगण सं0 01 व 02 द्वारा वारिस प्रमाण पत्र की किये बिना ही स्वीकृत कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी की यह अपील प्रस्तुत है। यह कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के वारिसान प्रमाण पत्र में अपीलार्थी का नाम मृतक मुरली पुत्र ग्यारसा की पुत्री के रूप में अंकन नही है जबकि अपीलार्थी मृतक मुरली पुत्र ग्यारसा की जायन्दा पुत्री है इस कारण भी उक्त नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्री का अपने मृतक पिता की सम्पति के पुत्र के समान हक अधिकार निहित होते है इस कारण भी अपीलार्थी को अपने पिता मृतक मुरली पुत्र ग्यारसा की विरासत नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अंतः में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बिदारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 538 दिनांक 12.09.2000 को आंशिक रूप से निरस्त का मृतक मुरली पुत्र ग्यारसा के वारिसान तक निरस्त करके नगरपालिका मण्डल शाहपुरा जिला जयपुर के द्वारा जारी कुर्सीनामा के अनुसार आराजी ख0 नं0 718, 719, 720 / 1668 वाकै ग्राम बिदारा की भूमि में अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्ट्रर होने पर गैर अपीलान्ट की तलबी की गई। गैर अपीलान्ट सं0 3, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता जेएस यादव उपस्थित। गैर अपीलान्ट सं0 01, 02, 06, 07 की तामिल हो चुकी है जो बाद तामिल व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त प्रकरण में वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना--पत्र का जवाब पेश नहीं किया। दिनांक 15.03.2024 को वकील प्रार्थी उपस्थित आये जबकि वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना--पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत बिदारा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 538 दिनांक 12.09.2000 को आंशिक रूप से निरस्त कर मृतक मुरली पुत्र ग्यारसा के वारिसान तक निरस्त करके, नगरपालिका मण्डल शाहपुरा जिला जयपुर के द्वारा जारी कुर्सीनामा के अनुसार आराजी खसरा नंबर 718, 719, 720 / 1668 वाकै ग्राम बिदारा की भूमि में अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करे। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रस्तुत प्रार्थना--पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिदारा के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 538 दिनांक 12.09.2000 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मुरली पुत्र ग्यारसा के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27/03/24 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण